राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- एफएसएसए/2019/ 838 दिनांक:- 01\10\2019

समस्त अभिहित अधिकारी एवं
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

विषय :- दिपावली अवसर पर दूध एवं दूध से निर्मित तथा अन्य खाद्य पदार्थो के प्रभावी नमूनीकरण एवं निरीक्षण हेतु विशेष अभियान दिनांक 03.10.2019 से 31.10.2019 तक आयोजित करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिपावली के त्यौहार पर खाद्य पदार्थो की मांग/खपत बढ़ने के कारण बाजार मे खाद्य सामग्रियो के अभाव के कारण अनेक निर्माता/व्यापारियो द्वारा अपमिश्रित खाद्य पदार्थो (मिलावटी/दूषित/कृत्रिम घी, वनस्पति, तेल, मावा, दूध, पनीर, मिठाईयॉ/कलर युक्त मिठाईयॉ, दूध व दूध से निर्मित खाद्य/पेय पदार्थ, ड्राईफ्रूट्स, मसाले/खुले मसाले, नमकीन, आटा आईसक्रीम, चाय लोकल कॉफिया बिस्कुट, सुपारी, अचार, इत्यादि) की बिक्री बाजार मे किये जाने की सम्भावना है। अतः दिपावली के पर्व पर अपमिश्रित खाद्य पदार्थो की बिक्री पर प्रभावी अकुंश/नियंत्रण हेतु आप अपने जिले मे दिनांक 03.10.2019 से 31.10.2019 तक विशेष अभियान चलाकर नमूनीकरण/निरीक्षण की प्रभावी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

उक्त अभियान मे खाद्य सुरक्षा अधिकारियो को नमूनीकरण कार्यवाही हेतु सभी अभिहित अधिकारियो द्वारा पर्याप्त मात्रा मे स्लिप व अन्य सामग्री आवश्यक रूप से उपलब्ध करवायी जावे। **जिले मे गठित प्रत्येक दल को प्रतिदिन 04 निरीक्षण व 04 नमूनीकरण का लक्ष्य आवंटित किया जा रहा है,** नमूनीकरण का कार्य एक्ट के तहत कराया जाना सुनिश्चित करे एवं अभियान के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित की जावे। परिस्थिति अनुसार आवश्यकता पड़ने पर रसद विभाग, डेयरी विभाग एवं पुलिस विभाग की सहायता प्राप्त करे।

लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित नहीं किये जाने पर सम्बंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। अभियान की प्रगति रिपोर्ट प्रतिदिन नियमित रूप से एफएसएसए अनुभाग की ईमेल आईडी **fssa.2006@yahoo.com** पर निम्न प्रपत्रानुसार सॉफ्ट कॉपी (एक्सल शीट) मे एवं हस्ताक्षरसहित हार्ड कॉपी भी भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। **प्रतिदिन सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह माना जायेगा कि जिले में विशेष अभियान के अन्तर्गत नमूनीकरण/निरीक्षण नहीं किया गया है। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित अभिहित अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी की होगी।**

प्रपत्र

निरीक्षण एवं नमूनीकरण की सूचना प्रपत्र

जिले का नाम- दिनांक-

क्र0 स0	नमूनीकरण/निरीक्षण करने वाले खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम	नमूनीकरण/निरीक्षण किये गये प्रतिष्ठान का नाम व पूर्ण पता	खाद्य पदार्थ का नाम	नमूना कोड/क्रमांक	निरीक्षण मे पाई गई कमी का विवरण	खाद्य कारोबारी कर्ता द्वारा लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया गया है अथवा नही	नष्ट/सीज करवाये गए माल का विवरण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- एफएसएसए/2019/ 838 दिनांक:- 01\10\19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1 निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2 निजी सचिव माननीय मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0 जयपुर।
4 निजी सचिव, पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान, जयपुर।
5 निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा0) मुख्यालय।
6 समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
7 अति0 निदेशक (ग्रा0स्वा0), मुख्यालय।
8 समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ, जोन राजस्थान।
9 मुख्य खाद्य विश्लेषक, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर। **chief.public.analyst@gmail.com**
10 समस्त खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाऐ, राजस्थान।
11 समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी, राजस्थान को पालनार्थ।
12 प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि सम्बधित को ईमेल कर विभाग की वेबसाईट पर भी अपलोड करे।
13 रक्षित पत्रावली।

आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये